भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 686

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 18 नवंबर, 2016/27 कार्तिक, 1938 (शक) को दिया गया)

<u>अदावाकृत लाभांश निधि</u>

686. श्री अर्जुन लाल मीणाः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को विभिन्न कंपनियों से अदावाकृत लाभांश निधि की धनराशि प्राप्त हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार द्वारा अधिगृहित तथा व्यय धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का इस प्राप्त राशि को देशों के जनजातीय व पिछड़े क्षेत्रों में से शिक्षा व औषधि तथा स्वास्थ्य के संबंध में क्या करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ग और कंपनी अधिनियम, 2013 की मौजूदा धारा 125 के अनुसरण में अदावाकृत लाभांसों सहित अदावाकृत और असंदत्त राशियों की विनिर्दिष्ट श्रेणियों को विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में जमा करवाना अपेक्षित है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आईईपीएफ में अदावाकृत लाभांशों सहित जमा कराई गई राशियों का विवरण निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	राशि
2013-14	189.96
2014-15	261.56
2015-16	223.42
2016-17 (31.10.2016 तक)	181.90

(घ) और (ड.): जी, नहीं। आईईपीएफ में जमा राशि भारत की संचित निधि का एक हिस्सा है जिसमें से मंत्रालय को विशेष रूप से उन पात्र निवेशकों जिनकी राशियां आईईपीएफ में जमा करवाई जा चुकी है, को पुन: भुगतान करने और कंपनी अधिनियम के आदेशानुसार निवेशकों में जागरूकता लाने हेतु एक पृथक बजट आवंटन प्राप्त होता है।

*****